महत्वपूर्ण एवं खास

चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक को उतारा मौत के घाट, दो गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। अवधपारा सोनडोंगरी में दो व्यक्तियों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी। मामले में कबीरनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मोहम्मद मुकीम खान 48 वर्ष अवधपारा सोनडोंगरी का रहने वाला था। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी मोहम्मद आरीफ 48 वर्ष और मोहम्मद अलताफ ने मोहम्मद मुकीम से गाली-गलौज कर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दोनों आरोपियों को धारा 302, 294, 34 के तहत अपराध दर्ज कर हिरासत में लिया है।

सूने मकान से नकदी सहित लाखों रुपए के जेवर पार

रायपुर (आरएनएस)। गैलेक्सी आईलैण्ड सकरी विधानसभा स्थित सूने मकान का ताला तोडक़र अज्ञात चोर ने आलमारी में रखे हीरे व सोने की अंगूठी सहित नकदी रकम पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर विधानसभा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी दुष्यंतराज जायसवाल 45 वर्ष गैलेक्सी आईलैण्ड सकरी का रहने वाला है। बताया जाात है कि अज्ञात चोर ने प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोडक़र अंदर प्रवेश किया और आलमारी में रखे नकदी 45 हजार सहित, हीरे की अंगूठी व सोने का जेवर पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 1 लाख 80 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर विधानसभा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

प्रतिबंधित टेबलेट के साथ दो गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। उरला पुलिस ने सुक्रवारी बाजार के पास नशीली टेबलेट के साथ दो युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पुलिस ने 200 नग नीट्राजेपम टेबलेट जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार उरला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुक्रवारी बाजार के पास नशीली टेबलेट खपाने के लिए ग्राहक तलाशते आरोपी लोकेश बघेल 28 वर्ष व मंगल तांडी 28 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 200 नग नीट्राजेपम टेबलेट और बिक्री रकम 1500 रुप जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

शादी का झांसा देकर नाबालिग से एक वर्ष तक किया अनाचार, आरोपी गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। कटघोरा थाना क्षेत्र से 2023 में एक नाबालिग पीड़िता के गुमशुदा की शिकायत लडक़ी के परिजनों ने कटघोरा थाना में कराई थी। कटघोरा पुलिस गुमशुदा की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर नाबालिग पीड़िता की पतासाजी में जुट गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने मामले में जांच तेज की और मुखबिर की सूचना पर कोमल यादव पिता शंकर यादव उम्र 23 वर्ष निवासी पुछापारा कटघोरा से पूछताछ की तो नाबालिग पीड़िता का उसके पास होना पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 376, आईपीसी पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी कोमल यादव को न्याययिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है तथा पीड़िता को परिजनों को सुपुर्द किया। इस गिरफ्तारी में कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी, एसआई राजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक दीपक कश्यप, आरक्षक अजय खुटले, आरक्षक महेंद्र चन्द्रा, आरक्षक मनीष साहू का अहम योगदान रहा।

जिले के थाना जूटमिल में नवीन आपराधिक कानून की धारों पर दर्ज किया गया पहला अपराध

- भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में एक्सीडेंट करने वाले बाइक चालक पर अपराध दर्ज
- लैलूंगा और कापू में आकस्मिक मृत्यु की सूचना पर धारा 194 BNSS के तहत दर्ज किया गया मर्ग प्रकरण
- पुसौर पुलिस ने घर पर उत्पात मचाने वाले युवक की शिकायत पर की बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

रायगढ़

01 जुलाई 2024 से लागू नवीन धाराओं के तहत रायगढ़ जिले के थाना जूटमिल में प्रथम अपराधिक मामला सड़क दुर्घटना का दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार आज सुबह रिपोर्टकर्ता सुनील भास्कर पिता जवाहर भास्कर निवासी सरसिंवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ हाल मुकाम छोटे भंडार पुसौर द्वारा थाना जूटमिल में उसके रिस्तेदार (साढ़ू) सुभाष नारंग निवासी ग्राम रामभांठा सरसिंवा के एक्सीडेंट की जानकारी देकर रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि सुबह इसकी साली प्रीति नारंग मोबाइल पर कॉल कर बताई कि आज सुबह अपने पति सुभाष नारंग, बच्चों के साथ मोटरसाइकिल में गांव से रायगढ़ आ रहे थे। कोड़ातराई और पटेलपाली के मध्य सुबह करीब 07:15 बजे से सामने से आ रहे एक एचएफ डीलक्स मोटर सायकल के चालक द्वारा तेज और लापरवाही चलते हुए सामने से ठोंकर मार कर भाग गया जिससे तीनों बाइक समेत नीचे गिर गए। दुर्घटना से पति (सुभाष नारंग) को चोटें आई है जिन्हें आर.एल. अग्रवाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। थाना जूटमिल में दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल के चालक पर अपराध क्रमांक 314/2024 धारा 281, 125(ए) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूर्व में सड़क दुर्घटना के इस अपराध में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 279, 337 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता था।

इसी प्रकार पूर्व में आकस्मिक मौत की मृत्यु की सूचना पर धारा 174 सीआरपीसी के तहत मर्ग पंजीबद्ध किए जाते थे। आज थाना लैलूंगा और कापू में आकस्मिक मौत की सूचना पर धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया है 1 वहीं घरेलू मारपीट झगड़ा की शिकायत पर थाना प्रभारी पुसौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126, 135(3) के तहत अनावेदक के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है जिसे पूर्व में धारा 151, 107, 116(3) सीआरपीसी के तहत की जाती थी।

"दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर" : खरसिया ऑडिटोरियम में नवीन आपराधिक कानून पर आधारित सेमिनार का आयोजन

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रामगोपाल करियारे, एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर खरसिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 01/07/24 को स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम ठाकुरदिया खरसिया में नवीन आपराधिक कानून 2023 पर आधारित सेमिनार "दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया प्रभात पटेल, थाना प्रभारी खरसिया कुमार गौरव साहू एवं वक्ता के रूप में आमंत्रित अधिवक्ताओं ने नवीन कानून के संबंध में कार्यक्रम में उपस्थित नगरवासियों को विस्तार से जानकारी दिया गया और नवीन कानून में नागरिकों के अधिकार के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीनारायण राठौर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में खरसिया क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु एवं करीब 300 की संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे जिन्होंने नवीन कानून संहिताओं की जानकारी ली और इसे लाभकारी बताए।

एक जुलाई से नही अब नए साल से होगा रेलवे की समय सारणी में बदलाव

रायपुर | आरएनएस

एक जुलाई से भारतीय रेलवे की नई समय सारिणी लागू करने के निर्णय को स्थगित कर दिया गया है। वर्तमान समय सारिणी को ही 31 दिसंबर तक विस्तार दे दिया गया है। अब नई समय सारिणी एक जनवरी से लागू होगी।

ट्रेनें पुराने समय नंबर, मार्ग और ठहराव पर यथावत चलती रहेंगी। रेलवे बोर्ड ने इस आशय का दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। मंडल व जोन ने रेलवे बोर्ड को ट्रेनों के समय को लेकर प्रपोजल बनाकर दे दिया है। रेल मंत्रालय, बोर्ड और जोनल स्तर पर ट्रेनों के समय और ठहराव आदि की समीक्षा कर रहा है। समीक्षा के लिए रेलवे बोर्ड ने जुलाई और दिसंबर से लागू होने वाली नई समय सारिणी को स्थगित कर दिया है।

जानकारी मुताबिक, समीक्षा पूरी नहीं हुई तो समय सारिणी लागू होने का समय और आगे भी बढ़ सकता है। देशभर में कवच सिस्टम स्थापित करने के साथ गति बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल का कार्य तेजी से चल रहा है, जिस वजह से ट्रेन लगातार लेट हो सकती है। जानकारी के मुताबिक रेलवे प्रशासन ने नई ट्रेनों को समय सारिणी में शामिल करने व समय में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले वर्ष एक अक्टूबर को लागू हुई थी।

रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने सभी जोनल रेलवे को पत्र जारी कर कहा है कि वर्तमान समय सारिणी 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। एक जनवरी 25 से नई समय सारिणी लागू की जाएगी। रेलवे कनेक्टिंग ट्रेनों के यात्रियों के लिए दूसरे जोन की ट्रेनों को 5 से 10 मिनट तक जल्दी स्टेशन पहुंचने की मांग की गई है, ताकि एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन पकडऩे के लिए यात्रियों के पास पर्याप्त समय रहे। इस तरह वबर उत्तर रेलवे की मांग पर जोन की लंबी दूरी वाली ट्रेनों के समय में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें छत्तीसगढ़, सारनाथ और साउथ बिहार समेत सिकंदराबाद का रायपुर पहुंचने का समय पहले से जल्दी हो सकता है।

रेलवे की समय सारिणी में जोन की पहली वंदे भारत ट्रेन के समय में बदलाव हो सकता है। बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में आंशिक बदलाव होने की बात कही जा रही है। जोन के कई रूट में दोहरीकरण और विद्युतीकरण हो जाने के बाद पिछले वर्ष दपूमरे ने कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में बदलाव की योजना तैयार की थी, लेकिन उत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे की सहमति नहीं मिल पाने से ट्रेनों के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव नहीं हो पाया है। इस बार उम्मीद है कि मंडल स्तर पर भेजे गए प्रस्ताव पर बोर्ड ट्रेनों के समय में बदलाव कर सकता है।

बदलाव अभी नहीं

सीपीआरओ विकास कश्यप ने बताया कि, ट्रेन की समय सारणी में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। नई समय सारणी लागू होने से सूचित किया जाएगा।

प्रदेश में 1 से 3 तक कार्डधारियों को नहीं मिलेगा राशन

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ में जुलाई के पहले सप्ताह में 3 दिन तक कार्डधारियों को उचित मूल्य की राशन दुकानों में खाद्यान्न नहीं मिलेगा. विभागीय डाटाबेस को नए क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित करने का कार्य 1 से 3 जुलाई तक किया जाएगा. इसके कारण तीन दिन तक प्रदेशभर की राशन दुकानों भी बंद रखी जाएंगी. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संरक्षण विभाग के अपर सचिव ने इस संबंध में 28 जून को आदेश जारी किया है.

इस आदेश के तहत प्रदेश के सभी कलेक्टरों को विभागीय डाटाबेस को नवीन क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित किए जाने की जानकारी दी गई है. वर्तमान में खाद्यान्न पोर्टल को छोडक़र सभी विभागीय ऑनलाइन कार्यवाही राज्य डाटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से किया जा रहा है. एसडीसी सर्वर में लगातार आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए नवीन क्लाउड सर्वर एनआईसी माध्यम से किराए पर लिया गया है. इसमें विभागीय डाटाबेस को स्थानांतरित किया जाएगा. इसके कारण एसडीसी स्थित विभागीय सर्वर तीन दिन तक बाधित रहेगा।

डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा अभियान का हुआ शुभारंभ

- ओआरएस का पैकेट व टेबलेट का किया गया वितरण

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अवधेश पाणिग्राही के मार्गदर्शन में बरमकेला के इंदिरा चौक के आंगनबाड़ी केंद्र में डायरिया रोकथाम अभियान का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष हेमसागर नायक, उपाध्यक्ष रामकुमार नायक , बीएमओ डॉक्टर संजय पटेल, बीपीएम ईश्वर दिनकर, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी खुर्शीदो बानो के कर कमलों से किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा बच्चों को ओआरएस का पैकेट व टेबलेट देकर अभियान का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर बीएमओ डॉ. संजय पटेल ने कहा कि पांच साल से कम के बच्चों की पहचान कर उन्हें ओआरएस पैकेट एवं जिंक टेबलेट निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उपयोग हेतु पालकों को प्रशिक्षित करेंगे। बच्चों को खाना खाने के पहले अपने हाथों को कैसे सफाई करना है, अपने आसपास कैसे साफ सुथरा रखना है। इन सब के बारे में विस्तार से भी बताया गया। चिकित्सा विभाग का मुख्य उद्देश्य दस्त से होने वाली बीमारियों के प्रति आमजन में जन जागृति लाकर बच्चों को इस बीमारी से बचाना एवं डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है।

बीपीएम ईश्वर दिनकर ने कहा कि पखवाड़े के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों वाले सभी घरों में आशा सहयोगियों के माध्यम से ओआरएस पैकेट सूचनाप्रद सामग्री पहुंचाई जाएगी।

कार्यक्रम में दुखदायी सारथी, विलासनी पुष्पा भारती अन्य स्टाफ व नागरिक उपस्थित थे।

75 हजार के नकली नोट के साथ एक ब्यक्ति गिरफ्तार

जशपुर | आरएनएस

जाली नोट का कारोबार करने वाले के विरुद्ध जशपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते एक व्यक्ति को 75 हजार रूपये के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में थाना बागबहार में आरोपी के विरूद्ध धारा 489(बी), 489 (सी), 120(बी) का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 30.06.2024 को मुखबीर से पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह को सूचना मिली कि बागबहार क्षेत्र के ग्राम चिकनीपानी स्थित भरारी नाला के पास एक सफेद रंग के आल्टो कार क्र. सी.जी. 16 सी.एम. 9300 में सवार सम्पत कुमार टोप्पो एवं उसके एक अन्य साथी द्वारा ओड़िसा से आये व्यक्तियों से नकली नोट प्राप्त कर असली के रूप में उपयोग करने एवं खपाने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहें हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा तत्काल थाना प्रभारी बागबहार निरीक्षक सरोज टोप्पो के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मौके के लिये रवाना किया गया, टीम द्वारा भरारी नाला के पास जाकर आल्टो कार क्र. सी.जी. 16 सी.एम. 9300 की घेराबंदी की जा रही थी, इसी दौरान कार में सवार 03 व्यक्ति पुलिस के आने की भनक पाकर मौका पाकर जंगल की ओर भाग गये, एक व्यक्ति कार की सीट पर बैठा मिला पूछने पर अपना नाम सम्पत कुमार टोप्पो उम्र 24 साल निवासी कोरिमा थाना अंबिकापुर का होना बताया, पुलिस टीम द्वारा उससे जाली नोट रखने के संबंध में पूछताछ करने के उपरांत गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर ड्राईवर सीट के पीछे रखे बैग को खोलकर देखने पर 500-500 रू. के नकली नोट कुल 150 नग 75 हजार रूपए नकली नोट के साथ 500-500 रू. के असली नोट 98 नग 49 हजार नगद एवं 04 बंडल नोट साईज का सफेद कागज मिलने पर जप्त करते हुये सम्पत कुमार टोप्पो को हिरासत में लिया गया। उक्त नकली नोट रखने के संबंध में सम्पत कुमार टोप्पो से पूछताछ करने पर बताया कि उसके फरार साथी के बतायेनुसार असली नोट के बदले 05 गुना नकली नोट ओड़िसा का एक पार्टी देगा, यदि नकली नोट का व्यवसाय करना है तो पैसा का व्यवस्था करो, ऐसा उसके साथी के कहने पर वह 50 हजार रू. की व्यवस्था कर दिनांक 29.06.2024 को अपने साथी के साथ कार क्रमांक सी.जी. 16 सी.एम. 9300 में सवार होकर भरारी नाला के पास आया था, जहॉ ओड़िसा की पार्टी द्वारा दूसरे दिन आने हेतु कहने पर दिनांक 30.06.2024 को अपने साथी के साथ पहुंचा था, जहॉ पहले से ओड़िसा के व्यक्ति आये और सैम्पल दिखाने के उपरांत 500-500 रू. के नकली नोट 150 नग कुल 75 हजार रूपए दिये, जिसे वह कार में पीछे तरफ रखा था, इसी दौरान वे पुलिस को देखकर भाग गये।

जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

- शिविर में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के विषय में दी गई जानकारी

रायगढ़

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज जिला जेल रायगढ़ का भ्रमण किया गया। साथ ही विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र साहू के द्वारा आयोजित शिविर में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए जिन बंदियों के मामले में अधिवक्ता नहीं हैं उनकी ओर से लीगल एड डिफेंस कौसिल, पैनल अधिवक्ता, प्रतिधारक अधिवक्ता द्वारा मामले में पैरवी करने तथा जमानत आदि की कार्यवाही करने के बारे में बताया गया। छोटे अपराधों में निरूद्ध ऐसे बंदी, जो लम्बे समय से जेल में हैं, उनके मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा त्वरित संज्ञान लेने तथा संबंधित न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल कराये जाने हेतु सचिव अंकिता मुदलियार को निर्देशित किया गया। साथ ही ऐसे बंदी जिनकी जमानत स्वीकृत हो गई है, किन्तु किसी असमर्थतता के कारण जमानत प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे मामलों में धारा 440 द.प्र. सं.के अन्तर्गत आवेदन संबंधित न्यायालय में दाखिल कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही कैदियों को मिलने वाली भोजन व मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी लिया गया।

जिला जेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, जेल की क्षमता, बंदियों के लिये विडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से मुलाकात करने एवं न्यायालय पेशी में उपस्थित होने के संबंध में समीक्षा ली गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया और कैदियों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा के बारे में उनके खान-पान, प्राप्त होने वाले मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति से संबंधित जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान पीने का पानी, रहने व सोने की व्यवस्था, मनोरंजन की सुविधा आदि के संबंध में जानकारी लिया गया। जेल लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से जिन बंदियों के मामलों में अधिवक्ता नहीं हैं, उन्हें पैरवी करने तथा जमानत आवेदन दाखिल कराये जाने हेतु विधिक सहायता प्रदान कर नि:शुल्क अधिवक्ता दिलाये जाने के बारे में बताया गया। बंदियों को रिहा होने के उपरान्त पुन. अपराध न करने की अपील की गई।

युवाओं को दिया गया वायुसेना में अग्निवीर बनने का मार्गदर्शन

- 8 जुलाई से भर सकेंगे अग्निवीर के लिए आवेदन

सारंगढ़-बिलाईगढ़

वायु सेना की टीम ने सोमवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हरदी और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सारंगढ़ में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को वायुसेना में उपलब्ध कैरियर की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी।

सेमिनार में बताया गया है कि अग्निवीर वायु सैनिक में चयनित होने पर 100 में से 25 सैनिकों को 4 साल की सेवा के बाद आगामी सेवा के लिए बढ़ाया जाता है। इसके साथ-साथ 4 साल की सेवा के बाद लौटने पर अन्य प्रकार की लाभ जैसे केंद्रीय में राज्य सरकार अन्य नौकरियों में उनके लिए रिजर्व सीट रहता है। साथ ही साथ उनको राशि 10 लाख के साथ अन्य राशियों को जोड़ें तो 20 लाख रुपए की भुगतान उनको किया जाता है। अग्निवीर में चयनित होने पर उनको रहना खाना पीना और वर्दी निशुल्क रहता है। साथ ही पहला रेल यात्रा फ्री होता है। बाकी में कम चार्ज होता है। वर्तमान में 8 जुलाई 2024 को 11बजे से 28 जुलाई 2024 को रात्रि 11 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण अग्निवीर वायु सैनिक के लिए फॉर्म भरा जा सकता है, जिसका ऑनलाइन परीक्षा तिथि 18 अक्टूबर 2024 निर्धारित है। इसके पंजीकरण के लिए पोर्टल अग्निपथ वायुसीडीएसी डॉट इन पर किया जा सकता है। इसके लिए युवाओं की जन्मतिथि 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए।

भोपाल से आए सार्जेन्ट आनंद राज ने विद्यार्थियों को वायु सेना के बारे में सामान्य जानकारी देते हुए बताया कि वायु सेना में रोजगार की असीम संभावनाओं के साथ-साथ देश सेवा का मौका भी है। उन्होंने बताया कि हायर सेकंडरी बारहवीं में विज्ञान, वाणिज्य कला वर्ग के विद्यार्थी 50 प्रतिशत प्राप्तांक और अंग्रेजी विषय में अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत अंक आने पर शैक्षणिक रूप से भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र होते हैं।

सार्जेंट आनंद राज ने बताया कि वायु सेवा की सेवा के बाद युवा केंद्रीय एवं राज्य की नौकरियां भी सेवा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब अग्नि वीर की सेवा में रहेंगे तो उनका इसके डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। चयन होने के बाद वह सैनिक सिर्फ भारतीय होता है उनसे कोई जाति धर्म के आधार पर पहचान नहीं होता। सेवा में सीनियर जूनियर का सम्मान रहता है। सेना अनुशासन का प्रतीक है। इसमें समय पर खाना पीना सोना, पार्किंग में मोटरसाइकिल रखना, वाहन चलाते समय हेलमेट का पालन करना है यह सब अनुशासन सेना की प्राथमिकता में शामिल है।

4 से 5 सालों में युवा अच्छे से पढ़ाई करें। जरूरत के मुताबिक मोबाइल का उपयोग करें। खाने पीने पर ध्यान दें व्यायाम करें और साथ ही साथ अग्निवीर या अन्य सेवाओं की तैयारी के लिए वेबसाइट, रोजगार नियोजन या अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर उनका ऑनलाइन फॉर्म भरे।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU